(109)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी/आगर मालवा/भू.रा./2017/2140 विरूद्ध आदेश दिनांक 8–6–2017 पारित द्वारा न्यायालय तहसीलदार तहसील आगर मालवा जिला आगर मालवा के प्रकरण कमांक 20/अ–3/2016–17 ।

.....

रूखमणीदेवी पत्नि दिनेश कुमार खण्डेलवाल
निवासी आगर मालवा तहसील व जिला आगर मालबा

..... आवेदिका

विरूद्ध

शुभम खण्डेलवाल पिता संतोष खण्डेलवाल
निवासी छावनी आगर मालवा तहसील व जिला
आगर मालवा म0प्र0

..... अनावेदक

.....

श्री एस0के0वाजपेयी, अभिभाषक–आवेदिका
श्री वरूण कौशिक, अभिभाषक–अनावेदक

.....

:: आदेश ::

(आज दिनांक 13/12/17 को पारित)

यह निगरानी आवेदिका द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार तहसील आगर मालवा जिला आगर मालवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 8–6–2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदक द्वारा उसके भूमिस्वामी स्वत्व की ग्राम छावनी तहसील व जिला आगर मालवा स्थित भूमि सर्वे नम्बर 341/मिन 2 रकबा 0.213 के बटांकन हेतु आवेदन पत्र तहसीलदार तहसील आगर मालवा जिला आगर मालवा के समक्ष प्रस्तुत किया गया । राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रश्नाधीन भूमि का बटांकन कराया जाकर तहसीलदार द्वारा दिनांक 8–6–2017 को बटांकन आदेश पारित किया गया । तहसीलदार के इसी बटांकन आदेश के विरूद्ध आवेदिका द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय द्वारा संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत बने नियमों के तहत बटांकन नहीं किया गया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया कि जब खसरा नम्बर 341/2 की भूमि को 10 व्यक्तियों द्वारा पृथक पृथक रजिस्टर्ड विकय पत्र लेख के माध्यम से कय की है और वे उस सम्पूर्ण स्वत्वाधिकारी स्वामी के रूप में काबिज होकर उसका उपयोग तथा उपभोग करते चले आ रहे है, उनका बटांकन नहीं करने में त्रुटि की गई है । यह भी कहा गया कि तहसील न्यायालय द्वारा बटांकन करने के पूर्व सभी हितबद्ध पक्षकारों को नहीं सुना गया है। यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि मूल भूमिस्वामी रामलतादेवी द्वारा सर्वे नम्बर 341/2 कुल रकबा 0.313 आरे के स्थान पर उसके द्वारा रकबा 0.341 आरे भूमि को विकय किया गया है जबकि रामलतादेवी की कूल भूमि रकबा 0.313 आरे ही थी । उनके द्वारा तहसील न्यायालय द्वारा की गई बटांकन कार्यवाही एवं आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय द्वारा किया गया बटांकन पूर्णतः न्यायिक एवं उचित है । आवेदिका प्रश्नाधीन कार्यवाही में आवश्यक पक्षकार नहीं है । उनके द्वारा तहसील न्यायालय द्वारा किया गया बटांकन यथावत् रखते हुये निगरानी निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि यह प्रकरण भूमि सर्वे नम्बर 341/2 के बंटाकन का है । सर्वे नम्बर 341/2 में अनावेदक सहित 8 लोगों के नाम है लेकिन आवेदिका इस सर्वे नम्बर की अभिलिखित भूमिस्वामी नहीं है और आवेदिका द्वारा उसकी ओर से ऐसा कोई प्रमाण भी पेश नहीं किया गया है । बटांकन की कार्यवाही को भूमि सर्वे नम्बर 341/2 के अन्य अभिलिखित भूमिस्वामियों द्वारा भी चुनौती नहीं दी गई है । स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन कार्यवाही में आवेदिका पीड़ित पक्षकार नहीं है, अतः उसे इस कार्यवाही को चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं है । दर्शित परिस्थितयों में तहसील न्यायालय द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार तहसील आगर मालवा जिला आगर मालवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 8–6–2017 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर